



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125396

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दांडिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 17324 वर्ष 2026

राहुल उर्फ कुणाल उर्फ जोनी

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : दीवान सैफुल्लाह खान

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री दीवान सैफुल्लाह खान और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुरेंद्र सिंह को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र विचारण के लंबित रहने के दौरान पुलिस थाना सदर बाजार, जिला आगरा में बो.एन.एस. की धारा 70(2), 65(2), 124(2), पॉक्सो अधिनियम की धारा 5एम/6 और अज्ञेतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 4/7/8 के अंतर्गत पंजीकृत अपराध संख्या 350 वर्ष 2025 में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. सर्वप्रथम, विद्वान अपर राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रथम सूचनाकर्ता को नोटिस तामील करा दिया गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है और पीड़िता ने उसे कोई भूमिका नहीं सौंपी है। आगे यह निवेदन किया गया है कि आवेदक का नाम सह-अभियुक्त गीता के संस्वीकृतात्मक बयान में सामने आया है जिसमें उसने कथन किया है कि आवेदक को 5000/- रुपये का भुगतान करके दत्तक ग्रहण विलेख के माध्यम से पीड़िता को उसके द्वारा गोद लिया गया था और वह उक्त दत्तक ग्रहण विलेख का साक्षी है। आवेदक 24.06.2025 से जेल में निरुद्ध है और यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाहियों में सहयोग करेगा।
5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है।
6. प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं है, जिसके अनुसार सह-अभियुक्त मोहित, दिलीप कुमार और सोहिल द्वारा लगभग नौ वर्ष की आयु की पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार किए जाने की बात कही गई है, हालांकि, उसने बी.एन.एस.एस. की धारा 180 और 183 के अंतर्गत दर्ज अपने बयानों में आवेदक के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा है। कहा जाता है कि आवेदक उस दत्तक ग्रहण विलेख का साक्षी है जो वर्ष 2023 में सह-अभियुक्त गीता के पक्ष में निष्पादित किया गया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने नाबालिग लड़की को गोद लिया था।
7. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदनों पर विचार करते हुए तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए और जेलों में अत्यधिक भीड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष दांडिक मामलों के भारी लंबन को ध्यान में रखते हुए, साथ ही 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 में रिपोर्ट किए गए कपिल वधावन बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधिदेश पर विचार करते हुए, साथ ही जमानत प्रदान करने के संबंध में 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765 में रिपोर्ट किए गए माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में इस न्यायालय के दिशानिर्देश पर विचार करते हुए तथा मामले के गुणागुण पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
8. तदनुसार, वर्तमान प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9. पूर्वोक्त अपराध में अंतर्गस्त आवेदक राहुल उर्फ कुणाल उर्फ जोनी को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक वैयक्तिक बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति का कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक बिना कोई स्थगन मांगे विचारण/अन्वेषण में निष्ठापूर्वक सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी भी दांडिक गतिविधि या किसी अपराध के किए जाने में संलिप्त नहीं होगा।

(iv) आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

10. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का एक आधार होगा।

11. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभूओं की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए। संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक के साथ-साथ प्रतिभूओं के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन भी किया जाना चाहिए।

12. यह आगे निदेश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।

13. कार्यालय को निदेश दिया जाता है कि वह (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट किए गए दिनांक 31.01.2023 को निर्णीत जमानत प्रदान करने के लिए नीतिगत रणनीति, इन रे: स्वप्रेरणा रिट याचिका (दांडिक) संख्या 4 वर्ष 2021 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 24 घंटे के भीतर ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल के माध्यम से संबंधित जेल अधीक्षक के जरिए आवेदक को इस आदेश की एक प्रति भेजे।

जून 4, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



मधुरिमा

(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"